

न्यायालय:-न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला (म0प्र0)
(पीठासीन अधिकारी-धन कुमार कुडोपा)

दांडिक0प्र0क0-614 / 13
संस्था0दि0 30 / 12 / 13

मध्य प्रदेश शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र,
 थाना आमला, जिला बैतूल (म0प्र0)

-----**अभियोजन**

--: **विरुद्ध :-**

बलीराम पिता रोन्या, उम्र 23 वर्ष,
 जाति मेहरा, पेशा-मजदूरी, नि0ग्राम डोडावानी,
 थाना आमला, जिला बैतूल (म0प्र0)

----- **अभियुक्त**

--: **निर्णय :-**

(आज दिनांक 05 / 08 / 2016 को घोषित)

1- अभियुक्त के विरुद्ध भा0दं0वि0 की धारा 498 "ए" एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा-4 के तहत अभियोग है कि दिनांक 29.04.09 के बाद से लगातार दिनांक 18.12.13 समय 15:30 बजे को बलीराम मेहरा का घर ग्राम डोडावानी, थाना आमला, जिला बैतूल म0प्र0 के अंतर्गत श्रीमति राखी पंडोले, जो कि आप अभियुक्त की पत्नी है, उसके साथ शारीरिक मानसिक रूप से प्रताड़ित कर कुरता की। फरियादी से प्रत्यक्ष या परोक्षतः रूप से दहेज में मोटर साईकिल की मांग कर शास्ति कर दुष्प्रेरित किया।

2- प्रकरण में आदेश पत्रिका दिनांक 05/08/16 को अभियुक्त और फरियादी राखी के बीच राजीनामा होने से आपसी राजीनामा आवेदन पत्र पेश किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध भा0दं0वि0 की धारा-498 "ए" एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा-4 का अपराध राजीनामा योग्य न होने से अभियुक्त का राजीनामा आवेदन पत्र निरस्त किया गया।

3- अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 29/04/09 को उसकी शादी बलीराम ग्राम डोडावानी के साथ हुयी थी। उसकी शादी उसके मौसा लब्धु वराठे ने करायी थी। उसके माँ बाप दोनों खत्म हो गये है। शादी के बाद बलीराम से उसे एक लकड़ी छाया ढाई साल एवं लड़का आकाश साढ़े तीन साल का है। उसका पति बलीराम शादी के बाद से उसके साथ छोटी-छोटी बात को लेकर मारपीट करता है। उसका पति बलीराम उसे कहता है कि उसके मामा मामी और मौसा ने दहेज में उसे कुछ नहीं दिया है। उसका पति उसे मायके से मोटर साईकिल लाने के लिए कहता है। वह जब पति से बोलती है कि उसके माता पिता नहीं है कहाँ से मोटर साईकिल लाकर दूँ, तो उसका पति उसे मारपीट कर उसे शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करता है। वह उसके पति बलीराम के द्वारा दहेज की मांग को लेकर उसे दी जा रही शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना के चलते उसकी बड़ी बहन दीपमाला के घर बघवाड में पिछले दिनों से रही रही है। वह

उसके मामा दिनेश, मामी बाली को सारी बात बताकर उसकी बहन दीपमाला के साथ उसके पति बलीराम की रिपोर्ट करने आयी हूँ।

4— फरियादी की रिपोर्ट पर प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार की गई जो प्र0पी0 1 है। जिसके आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क्रमांक 489/13 भा.द.सं धारा-498 "ए" एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा- 3, 4 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। दिनांक 25/12/13 को सम्पत्ति जप्ती पत्रक प्र.पी. 2 तैयार किया गया, साक्षियों के कथन उनके बताये अनुसार लेख किया, अभियुक्त को गिरफ्तार गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया।

5— अभियुक्त के विरुद्ध धारा 313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त का अभियुक्त परीक्षण किया गया। अभियुक्त ने अपने अभियुक्त परीक्षण में कहा कि वह निर्दोष है उसे झूठा फंसाया गया है। बचाव पक्ष ने बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

6— : न्यायालय के समक्ष यह विचारणीय प्रश्न यह है कि :-

1—"क्या दिनांक 29.04.09 के बाद से लगातार दिनांक 18.12.13 समय 15:30 बजे को बलीराम मेहरा का घर, ग्राम डोडावानी, थाना आमला, जिला बैतूली म0प्र0 के अंतर्गत श्रीमति राखी पंडोले जो कि आप अभियुक्त की पत्नी है उसके साथ शारीरिक मानसिक रूप से प्रताड़ित कर कुरता की?"

2— "उक्त दिनांक समय व स्थान पर आपने फरियादी से प्रत्यक्ष या परोक्षतः रूप से दहेज में मोटर साईकिल की मांग कर शास्ति कर दुष्प्रेरित किया?"

—: निष्कर्ष एवं उसके आधार :-
विचारणीय प्रश्न क0 1, 2 का निराकरण

7— सुविधा की दृष्टि से विचारणीय प्रश्न कं. 1, 2 का निराकरण साथ में किया जा रहा है। क्योंकि प्रकरण में साक्ष्य की पुनरावृत्ति न हों।

8— अभियोजन साक्षी राखी (अ.सा.1) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि आरोपी बलीराम उसका पति है। उसका विवाह वर्ष 2009 में आरोपी के साथ सम्पन्न हुआ था। शादी के बाद में उसके ससुराल डोडावानी चली गई थी, जहां कुछ दिनों तक आरोपी ने उसे अच्छे से रखा उसके बाद घरेलु बातों को लेकर उनका विवाद होने लगा। आरोपी ने उससे दहेज की मांग नहीं किया था। आरोपी ने उसे कभी दहेज को लेकर कभी परेशान नहीं किया था। शासन की ओर से पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर इस गवाह ने यह अस्वीकार किया है कि शादी के कुछ दिनों बाद से आरोपी उसे दहेज की मांग को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था एवं दहेज में मोटर साईकिल लाने मांग करता था। आगे इस गवाह ने यह भी अस्वीकार किया है कि उसने पुलिस को रिपोर्ट प्र0पी0 1 का बी से बी भाग एवं पुलिस कथन प्र0पी0 3 का ए से ए लेख कराई थी। आगे इस गवाह ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि उसका आरोपी से राजीनामा हो गया है।

9— आगे इस गवाह ने अपने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 3 में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि उसने आरोपी के साथ बिना किसी डर दबाव के राजीनामा कर लिया है और वह गुस्से में आकर आरोपी के विरुद्ध रिपोर्ट कर दी थी और आरोपी ने उसके साथ कोई शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया। यह गवाह स्वयं फरियादी है और उक्त गवाह ने अपनी मुख्य परीक्षा सूचक प्रश्न एवं प्रतिपरीक्षा में उसे शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर कुरता कारित करने तथा दहेज में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से दहेज में मोटर साईकिल की मांग करने वाली बात नहीं बताई है। इस प्रकार इस गवाह की साक्ष्य के मुख्य परीक्षा, सूचक प्रश्न एवं प्रतिपरीक्षा से भा0दं0वि0 की धारा 498 "ए" एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा- 4 के तथ्यों का समर्थन नहीं किया है।

10— उर्पयुक्त किए गए साक्ष्य एवं विश्लेषण से यह स्पष्ट नहीं है कि अभियुक्त ने फरियादी को शारीरिक मानसिक रूप से प्रताड़ित कर कुरता की। उर्पयुक्त किए गए साक्ष्य एवं विश्लेषण से यह भी स्पष्ट नहीं है कि अभियुक्त ने फरियादी से प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से दहेज में मोटर साईकिल की मांग कर शास्ति कर दुष्प्रेरित किया। इस प्रकार विचारणीय प्रश्न क्रं. 1, 2 का निराकरण "अप्रमाणित" रूप से किया जाता है।

11— उर्पयुक्त अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से युक्ति-युक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्त ने फरियादी को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर कुरता कारित की। उर्पयुक्त अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से युक्ति-युक्त संदेह से परे यह भी प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्त ने फरियादी से प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से दहेज में मोटर साईकिल की मांग कर शास्ति कर दुष्प्रेरित किया। इस प्रकार अभियुक्त बलीराम को भा0दं0वि0 की धारा-498 "ए" एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा-4 के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

12— अभियुक्त के धारा-313 द0प्र0सं0 के पूर्व प्रस्तुत जमानत मुचलका भारमुक्त किया जावे। अभियुक्त का धारा 428 द0प्र0सं0 का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे।

13— प्रकरण में जप्त शुदा सामाग्री शादी का कार्ड एवं दहेज की सूची मूल्यहीन होने से नष्ट की जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय का निर्णय/आदेश मान्य किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय मे हस्ताक्षरित एवं

मेरे बोलने पर टंकित।

दिनांकित कर घोषित किया गया।

(धनकुमार कुड़ोपा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, जिला बैतूल म0प्र0

(धनकुमार कुड़ोपा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, जिला बैतूल म0प्र0